वित्त मंत्रालय

संख्या 35 (विनियोग)

ब्याज संदाय

क. वसूलियों तथा राजस्व प्राप्तियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		...	129499.86	129499.86	...	125904.80	125904.80	...	133944.86	133944.86
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**...**	**129499.86**	**129499.86**	**...**	**125904.80**	**125904.80**	**...**	**133944.86**	**133944.86**
ब्याज भुगतान										
1. *आंतरिक ऋण पर ब्याज*										
1.01 बाजार उधार	2049	...	73333.00	73333.00	...	68467.37	68467.37	...	75228.09	75228.09
घटाइए-उपार्जित ब्याज	0049	...	-4000.00	-4000.00	...	-4250.00	-4250.00	...	-3500.00	-3500.00
	निवल	...	*69333.00*	*69333.00*	...	*64217.37*	*64217.37*	...	*71728.09*	*71728.09*
1.02 क्षतिपूर्ति और अन्य बाण्ड	2049	...	5100.00	5100.00	...	4180.31	4180.31	...	4845.19	4845.19
1.03 राजकोषीय हुण्डियों के संबंध में बट्टा	2049	...	1200.00	1200.00	...	791.00	791.00	...	850.00	850.00
1.04 364 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों पर बट्टा	2049	...	1250.00	1250.00	...	1270.00	1270.00	...	1445.00	1445.00
1.05 182 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	2049	...	...	...	...	...	...	...	345.00	345.00
1.06 ऋण का प्रबंध	2049	...	450.00	450.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00
1.07 अर्थोपाय अग्रिम	2049	...	332.57	332.57	...	60.00	60.00	...	150.00	150.00
1.08 विशेष प्रतिभूतियों के रूपांतरण में जारी विपणन योग्य प्रतिभूतियां	2049	...	7753.07	7753.07	...	7753.07	7753.07	...	7065.87	7065.87
1.09 बाजार स्थिरीकरण योजना	2049	...	...	...	...	2968.97	2968.97	...	3338.50	3338.50
	जोड़	...	*85418.64*	*85418.64*	...	*81740.72*	*81740.72*	...	*90267.65*	*90267.65*
2. विदेशी ऋण पर ब्याज	2049	...	2629.84	2629.84	...	2797.41	2797.41	...	3111.91	3111.91
3. *लघु बचतों, भविष्य निधियों, आदि पर ब्याज*										
3.01 लघु बचत जमाराशियों, प्रमाणपत्रों और पीपीएफ पर ब्याज व प्रचालनात्मक व्यय	2049	...	19201.36	19201.36	...	18927.96	18927.96	...	18153.33	18153.33
3.02 राज्य भविष्य निधियां	2049	...	4012.35	4012.35	...	4199.68	4199.68	...	4432.94	4432.94
3.03 बीमा और पेंशन निधियां	2049	...	3206.66	3206.66	...	3161.34	3161.34	...	3639.98	3639.98
3.04 गैर-सरकारी भविष्य निधियों इत्यादि की विशेष जमाराशियां	2049	...	9754.69	9754.69	...	9754.69	9754.69	...	9745.45	9745.45
3.05 राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां	2049	...	1920.63	1920.63	...	1918.70	1918.70	...	1918.70	1918.70
3.06 भारतीय यूनिट ट्रस्ट को जारी विशेष प्रतिभूतियां	2049	...	439.29	439.29	...	470.67	470.67	...	276.25	276.25
3.07 जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम तथा इसकी सहायक कंपनियों की विशेष जमाराशियां	2049	...	158.16	158.16	...	80.00	80.00	...	1.00	1.00
3.08 अन्य विशेष जमाराशियां	2049	...	812.81	812.81	...	851.35	851.35	...	877.59	877.59
	जोड़	...	*39505.95*	*39505.95*	...	*39364.39*	*39364.39*	...	*39045.24*	*39045.24*
4. प्रारक्षित निधियों पर ब्याज	2049	...	353.01	353.01	...	357.29	357.29	...	369.53	369.53
5.01 तेल कंपनियों को दिए गए विशेष बांड	2049	...	684.26	684.26	...	684.26	684.26	...	643.83	643.83
5.02 अन्य देयताओं पर ब्याज	2049	...	908.16	908.16	...	960.73	960.73	...	506.70	506.70
कुल जोड़		***...***	***129499.86***	***129499.86***	***...***	***125904.80***	***125904.80***	***...***	***133944.86***	***133944.86***

इस विनियोग में शामिल संपूर्ण व्यय भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(3)(ग) के अंतर्गत भारत की समेकित निधि पर "भारित" के रूप में वर्गीकृत है।

2. इस विनियोग में केन्द्रीय सरकार की ऋण देयताओं, आंतरिक और बाह्य, दोनों पर ब्याज-प्रभारों के लिए प्रावधान है। इसमें भविष्य निधियों, सरकार के पास विशेष जमाराशियों के अलावा मूल्यह्रास और रेलवे जैसे वाणिज्यिक विभागों की अन्य प्रारक्षित निधियों पर देय ब्याज हेतु प्रावधान शामिल है। केन्द्रीय सरकार के ऋण तथा अन्य देयताओं के प्रबंध हेतु प्रावधान भी इस विनियोग में शामिल किए गए हैं।

3. यह व्यवस्था बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत निर्गत दिनांकित प्रतिभूतियों/राजकोषीय हुंडियों पर ब्याज/बट्टा भुगतान के लिए है। एमएसएस संबंधी दिनांक 25 मार्च, 2004 के समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुपालन में प्रावधान अलग से दर्शाया जा रहा है।

4. वर्ष 2005-2006 के बजट अनुमानों में हुई वृद्धि मुख्यतया आंतरिक ऋण पर ब्याज की अधिक आवश्यकता के कारण है।